पत्रांक –3/एम० –33/2013सा०प्र०...4789.../

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक...27.3.., 2015

विषयः– **सेवानिवृत्त कर्मियों एवं पदाधिकारियों की सेवायें संविदा के आधार पर लिये जाने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या–2804 दिनांक– 29.03.2010 द्वारा विभिन्न विभागों/कार्यालयों में, बड़ी संख्या में पद रिक्त रहने से कार्य प्रभावित नहीं हो इसके लिए लोक हित में, विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/कर्मियों को नियोजन हेतु दिशा–निर्देश निरूपित किये गये हैं।

2. उक्त दिशा–निर्देश के तहत यह प्रावधान भी निरूपित है कि संविदा के आधार पर नियोजित ऐसे सेवानिवृत्त पदाधिकारी/कर्मियों को उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय–समय पर की जायेगी और यदि कार्य संतोषजनक नहीं हो तो हटाया जा सकेगा।

3. कतिपय पदाधिकारियों से इस संबंध में पृच्छा प्राप्त हो रही है कि जिन पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों/पदाधिकारियों को संविदा के आधार पर नियोजित किया गया हो, उन पदों पर नियमित नियुक्ति होने पर संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों/पदाधिकारियों को सेवा मुक्त करने की प्रकिया क्या होगी?

4. चूँकि नियमित नियुक्ति में विलम्ब की स्थिति में कार्य प्रभावित नहीं हो इसी उद्देश्य से उन पदों पर सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/कर्मियों को संविदा के आधार पर नियोजित किया जाता है अतएव ऐसे नियोजन, उन पदों पर नियमित नियुक्ति के साथ ही, स्वतः समाप्त हो जायेंगे। अतः संबंधित पदों पर नियमित नियुक्ति होते ही उन पदों पर संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत्त कर्मियों/ पदाधिकारियों को एक माह पूर्व उनका नियोजन समाप्त होने की

सूचना देकर पद–मुक्त किया जा सकता है और इसके लिए संविदा के आधार पर नियोजन के एकरारनामा में भी इस शर्त्त का उल्लेख करना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

(अनिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–3/एम० –33/2013सा०प्र०....4789..../ पटना–15, दिनांक–....27-3-15

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर; समाहरणालय, मुजफ्फरपुर (जिला स्थापना प्रशाखा) को उनके पत्रांक– 272 दिनांक– 02.03.2015 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

zakaul hameed/ mlss